न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 367/2017 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956)

पुरूषोत्तम पुत्र श्री प्रभूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम वडोदा तहसील सपोटरा जिला करौली हाल निवासी महावीर नगर कोटा (राज0)

.....**अपीलान्ट**

बनाम

1. सत्यनारायण
2. धन्नालाल
3. कैलाश — पुत्रगण श्री रामदयाल
4. वनवारी
5. प्रहलाद
6. चन्दा
7. तारा — पुत्रीयान रामदयाल
8. लक्ष्मी
9. ममता

जाति महाजन निवासीयान ग्राम वडोदा तहसील सपोटरा जिला करौली (राज0)

10. गीता वेवा रामदयाल
11. तहसीलदार सपोटरा जिला करौली।
12. सरपंच ग्राम पंचायत वडोदा पंचायत समिति सपोटरा जिला करौली।

.....**रैस्पोडेन्टस**

अपील विरूद्ध अपील संख्या 2/09 पुरूषोत्तम बनाम सत्यनारायण नि0दि0 20.4.2011व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 814 दिनांक 4.4.2009 ग्राम पंचायत बडौदा तह0 सपोटरा जिला करौली।

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री अशोक कुमार सिंघल वकील रैस्पोडेन्टस
1. राजकीय अधिवक्ता।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय

दिनांकः– 6.2.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के निर्णय दिनांक 20.4.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि मृतक खातेदार की मृत्यु के उपरान्त विरासतन नामान्तरकरण अपीलान्ट पुरूषोत्तम पुत्र प्रभू एवं गुलकन्दी वेवा प्रभू व हिस्सा 1/4 तथा रैस्पो0 संख्या 1 लगायत 10 व0हि0व0 1/4 के नाम भरा गया । इस नामान्तरकरण पर सरपंच ग्रम पचांयत बडौदा द्वारा निर्णय दिनांक 4.4.2009 इस आशय का पारित किया गया कि " आज दिनांक 4.4.09 को नामान्तरकरण पेश हुआ ।

खातेदार गोरधन फौत हो गया है जिसके वारिसान की जानकारी की गई। मृतक गोरधन अविवाहित ना ओलाद मर गया है। जिसने अपने सगे भाई के लडके सत्यनारायण पुत्र रामदयाल को गोद लिया था इस दत्तक पुत्र सत्यनारायण के द्वारा ही मृतक की सेवा देखभाल एवं क्रिया कर्म किया है अतः सर्वसम्मति से खातेदार गोरधन के बजाय सत्यनारायण दत्तक पुत्र गोरधन के नाम स्वीकार किया जाता है'' इस आदेश की अपील तहत अदालत उपखण्डाधिकारी सपोटरा के समक्ष पेश की गई। वाद कार्यवाही उपखण्डाधिकारी सपोटरा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.4.2011 सपारित करते हुये अपील खारिज कर सरपंच ग्राम पंचायत वडौदा के निर्णय दिनांक 4.4.2009 को यथावत रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। सरपंच को उत्तराधिकार तय करने का अधिकार नहीं है न ही विवादित नामान्तरकरण तय करने का अधिकार है। कानूनी रूप से जटिल बिन्दुओं जैसे वसीयत, गोदनामा, दानपत्र, बयनामा इत्यादि के संबध में मीमासां किया जाना अथवा तय किया जाना सरपंच के क्षेत्राधिकार में न होकर सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। इस प्रकरण में सरपंच बडौदा ने राजस्व कर्मीयों द्वारा भरे गये नामान्तरकरण पर गौर न किया जाकर बिना किसी आधार के कथित गोदनामा को तय करते हुये दिनांक 4.4.2009 को निर्णय पारित किया गया है जो उचित नहीं है। प्रकरण की वास्तविकता यह है कि ख0नं0 515 रकबा 2 बीघा एवं 516 रकबा 1.19 वाकै ग्राम वडोदा तहसील सपोटरा पूर्व में संयुक्त खातेदार पुरूषोत्तम पुत्र प्रभू एवं गुलकन्दी वेवा प्रभू आधे हिस्से के मालिक थे तथा शेष आधे हिस्से के मालिक गोरधन पुत्र बलराम मालिक थे। उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के 1/2 हिस्सा का मालिक अपीलान्ट था क्यों कि गुलकन्दी की मृत्यु हो चुकी थी तथा शेष आधी भूमि के मालिक गोरधन पुत्र बलराम थे जिसके तहत 1/2 हिस्सा भूमि का बेचान अपीलान्ट एवं उसकी माता गुलकन्दीदेवी ने कर दिया था और उसके बाद उपरोक्त भूमि के आधे भाग के मालिक गोरधन पुत्र बलराम हुये थे। यह कि बलराम के तीन पुत्र प्रभूलाल एवं रामदयाल एवं गोरधन थे । चूंकि गोरधन लाबल्द विला औरत फौत हुआ था उसके कोई वारिस नहीं है। गोरधन के अलावा दो भाई प्रभूलाल एवं रामदयाल थे उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इस तरह प्रभूलाल का वारिस अपीलान्ट है तथा रामदयाल के वारिस रैस्पोडेन्टस है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी निर्वसीयत व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात प्रथम श्रेणी में उसके पुत्र पुत्रीयां एवं पत्नी है और चुंकि गोरधन लाबल्द विला औरत फौत हुआ था तो उसके द्वितीय श्रेणी में भाई बहिन आते है। लेकिन गोरधन के भाईयों की भी मृत्यु हो चुकी है इसलिऐ उसके भाईयों के पुत्र पुत्रीयां उसकी सम्पत्ति के बराबर के हिस्सेदार है। इसी कारण से गोरधन की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत बडौदा द्वारा दिनांक 25.3.2009 को जो सजरा बनाया गया उसमें सही प्रकार से मुझ अपीलान्ट का उपरोक्त भूमि में से 1/4 हिस्सा तथा रैस्पो0 संख्या 1 लगा010 का 1/4 हिस्सा मानते हुये बनाया गया था लेकिन बाद में रैस्पो0 संख्या 1 ने सरपंच बडोदा से मिली–भगत करके स्वयं को तथाकथित रूप से गोरधन का दत्तक पुत्र बताते हुये 4.4.2009 को इंतकाल संख्या 814 के द्वारा उपरोक्त आधी भूमि का खातेदार दर्ज करवा लिया। जो काबिले मंसूखी है। इसके अलावा सरपंच द्वारा एक मर्तवा तो अपीलाधीन नामान्तरकरण

अपीलान्ट के नाम 1/4 एवं रैस्पोडेन्टस के नाम 1/4 मानते हुये दिनांक 25.3.2009 को भर दिया लेकिन उसके पश्चात बिना किसी आधार के रैस्पोडेन्ट संख्या 1 को मृतक गोरधन का दत्तक पुत्र मानते हुये उसके हक में दिनांक 4.4.2009 को स्वीकार कर लिया गया। जो मिलीभग व बदनियती को दर्शाता है। किसी भी व्यक्ति को दत्तक पुत्र तब तक नही माना जा सकता जब तक कि उसके द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा तस्दीक न करवा लिया हो और यदि किसी व्यक्ति ने रजिस्टर्ड गोदनामा तस्दीक नहीं करवाया है तो वह दीवानी न्यायालय में जाकर स्वयं को दत्तक पुत्र घोषित करवा सकता है। जब तक गोदनामा दीवानी न्यायालय से तय नहीं हो जाता कानून उस व्यक्ती को गोदपुत्र नहीं माना जा सकता है। इस प्रकरण में ऐसा कोई गोदनामा नहीं है। वास्तव में गोरधन ने सत्यनारायण को गोद लिया ही नहीं न ही कभी देखभाल की न किया कर्म किये । अगर सत्यनाराण गोरधन का गोदपुत्र होता तो पटवारी/गिरदावर की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र जरूर होता। राजस्व कर्मचारियान एवं अधिकारियान द्वारा जो नामान्तरकरण अपीलान्ट के संबध में 1/4 हिस्से बाबत भरा गया था वही सत्य एवं न्यायसंगत था । हिन्दु विधि में दत्तक पुत्र लेने के लिये विस्तृत प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किस उम्र तक किस व्यक्ति को गोद ले सकता है तथा दोनो की उम्र के मध्य इतनी उम्र का अन्तर होना चाहिऐ और चूंकि सत्यनारायण वर्तमान में 25 साल से अधिक है इसलिऐ किसी भी सूरत में उसे दत्तक पुत्र नहीं माना जा सकता। सरपंच द्वारा न सुनवाई की न जांच की न अपने क्षेत्राधिकार को देखा और नामान्तरकरण पर बिना किसी ठोस आधार के आदेश दिनांक 4.4.2009 पारित कर दिया । जो न्याय के प्राकृति सिद्यान्तों के विपरीत भी है। उपर्युक्त सभी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुये तहत अदालत उपखण्डाधिकारी सपोटरा द्वारा भी अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है । जो काबिले मंसखूी है। हर दो तहत अदालतों के अपीलाधीन आदेशों के आस्तित्व में रहने से अपीलान्ट को सख्त तलफी पैदा हो गयी है। दौराने अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को सुना नहीं गया इस वजह से अपीलान्ट को इस बाबत जानकारी नहीं हो सकी। अपीलान्ट अक्सर बीमार भी रहता है मेरे वकील साहब भी विपक्षीगणों से साज कर गये उनके द्वारा मुझे इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी न ही तहत अदालत ने अवगत कराया। अपीलान्ट स्वयं ने वकील साहब के पास जाकर जानकारी चाही तब दिनांक 18.1.2012 को उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश के बारे में बताया गया। तुरन्त ही अपीलान्ट ने 19.1.2012 को नकल पेश किया दिनांक 8.2.2012 को नकल प्राप्त हुई। तदोपरान्त वकील से से सम्पर्क कर अपील होने जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद पेश की गई है। जिसके लिये पृथक से धारा –5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र पेश किया गय है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 20.4.2011 उपखण्डाधिकारी सपोटरा एवं इतकाल संख्या 814 दिनांक 4.4.2009 ग्राम पंचायत बडौदा निरस्त किया जावे। तथा खसरा नम्बर 515 व 516 की शेष बची जमीन जो मृतक गोरधन के नाम थी का नामान्तरकरण 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट एवं 1/2 हिस्से पर रैस्पोडेन्टस के नाम दर्ज किये जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी सपोटरा जिला करौली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.4.2011 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि सरपंच

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ग्राम पंचायत बडोदा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 4.4.2009 अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विधि सम्मत पारित किया गया है। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी सपोटरा द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 20.4.2011 के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बडौदा के निर्णय दिनांक 4.4.2009 की पुष्टि की है। इसके अलावा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 814 दिनांक 4.4.2009 स्वीकार करते वक्त सम्पूर्ण गांव में ज्ञात जानकारी एवं साक्ष्य के आधार पर ही पारित किया गया है। यह कि विवादित आराजी पुरूषोत्तम पुत्र प्रभू व गुलकन्दी वेवा प्रभू हिस्सा 1/2 तथा गोरधन पुत्र बलराम के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी। खातेदार गोरधन के मरणोपरान्त विरासत का नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत बडौदा द्वारा दिनांक 4.4.09 को निर्णित किया गया है। मृतक गोरधन के मरणोपरान्त उसके भाई के लडके सत्यनारायण को दत्तक पुत्र मानते हुये ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इसके अलावा तहत अदालत में अपीलान्ट को ग्राम पंचायत को भी पक्षकार नहीं बनाया गया। न ही इस संबध में कोई कारण बताया। ऐसी स्थिति में तहत अदालत उपखण्डाधिकारी सपोटरा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.4.2011 न्यायसंगत है। इसके साथ ही यह अपील भी मियाद बाहर पेश की गई है जिसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है । अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.4.2011 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में इस तथ्य से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता कि बलराम के तीन पुत्र प्रभूलाल, रामदयाल, गोरधन थे और तीनों की मृत्यु हो चुकी है। मृतक गोरधन लाबल्द विला औरत फौत हुआ था। ग्राम पंचायत बडौदा ने गोदनामा का जिक्र करते हुये रैस्पो0 संख्या–1 को गोरधन का दत्तक पुत्र मानते हुये नामान्तरकरण स्वीकार किया है। किन्तु दौराने अवलोकन पत्रावली गोदनामा रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं पाया गया है। जिससे प्रथम दृष्ट्या उसके आस्तित्व में होने अथवा न होने के तथ्य की पुष्टि हो सके । न ही इस संबध में तहत अदालत ने स्पष्ट विवेचना की है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा अपने निर्णय में

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

इस बात की विवेचना कि है कि आया जो गोदनामा नामान्तरकरण स्वीकृति का आधार बनाया जा रहा है उसके संबध में उसके कानूनी परिपेक्ष्य में होने अथवा न होने की स्थिति स्पष्ट हो सके। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 814 पर अंकित पटवारी की रिपोर्ट 24.3.2009 एवं गिरदावर की रिपोर्ट दिनांक 25.3.2009 एवं सरपंच का आदेश दिनांक 4.4.2009 परस्पर एक दूसरे में विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। इसके अलावा वकील अपीलान्ट के इन कथनों से हम सहमत है कि सरपंच को उत्तराधिकार तय करने का अधिकार नहीं है न ही विवादित नामान्तरकरण तय करने का अधिकार है। कानूनी रूप से जटिल बिन्दुओं जैसे वसीयत, गोदनामा, दानपत्र, बयनामा इत्यादि के संबध में मीमासां किया जाना अथवा तय किया जाना सरपंच के क्षेत्राधिकार में न होकर सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। रैस्पोडेन्ट की ओर से भी अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उनके कथनों की ताईद हो सके। बाबजूद इसके हर दो तहत अदालतों ने कथित गोदनामा का जिक्र करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है । लिहाजा हमारी विनम्र राय में इस प्रकरण का अभी परीक्षण न्यायालय में उभयपक्षकारान की विधिवत सुनवाई उपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना शेष है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर हर दो तहत अदालत के निर्णय दिनांक 20.4.2011 उपखण्डाधिकारी सपोटरा एवं इंतकाल संख्या 814 दिनांक 4.4.2009 ग्राम पंचायत बडौदा निरस्त किये जाते है। तहसीलदार सपोटरा को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये सभी हितबद्ध पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार पर तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 6.2.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official